UPJS010012202022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J. O. Code No- UP 6311

एफ. आर सं- 377/ 2022

सूरज आदिवासी **बनाम** शिवराज सिंह आदि

दिनांक 30. 05. 2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। वादी व उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। बार बार पुकार करायी गयी कोई उपस्थित नही। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश लंच पश्चात पेश हो।

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश एस. सी. एस. टी एक्ट
झांसी।

लंच पश्चात-

लंच पश्चात पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। वादी व उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी के द्वारा थाना उल्दन जिला झांसी में दिनांक 20-02-2020 को पंजीकृत करायी थी। जिसकी विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 02/2020 दिनांक 11-03-2020 प्रेषित की गयी। न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस जारी किया गया जो कि तामीला हुआ परन्तु वादी न्यायालय उपस्थित नही आया। आदेश पत्रक के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 03. 03. 2022 को संस्थित किया गया था। उक्त दिनांक से आज तक वादी नोटिस तामीला के बावजूद उपस्थित नही आया है। पत्रावली दिनांक 03. 03. 2022 से आज की तिथि तक हाजिरी में चल रही है और वादी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। उक्त प्रकरण प्राचीन है। आज भी बार बार पुकार कराये जाने पर वादी व उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी वादी को वाद चलाने मे अब कोई रूचि नही है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या 02/2020 दिनांक 11-03-2020 थाना उल्दन जिला झांसी स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश एस. सी. एस. टी एक्ट
झांसी।

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.05.30 11:14:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court